सार समाचार

5 वर्षीय पुत्र को फांसी पर लटका मां ने भी फांसी लगाई, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय पुत्र को फांसी पर लटका कर मारने के बाद मां ने भी फांसी लगा आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर आए परिजनों ने हंगामा कर दिया, जहां पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार कमला देवी (27) पत्नी दिनेश परमार निवासी दमाणा ने अपने पांच वर्षीय पुत्र मनोज को पहले फांसी पर लटकाकर मार दिया और बाद में खुद ही पुंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। जांच में सामने आया कि कमला देवी ने डेढ वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। कुछ समय ससुराल में रहने के बाद पीहर चली गई थी एवं 5 माह पूर्व वापस ससुराल आई थी। तीन दिन पूर्व कमला की दादी सास की मौत होने से गुरूवार को तीसरा था। वह अपने पीहर जाने की जिद कर रही थी पर घर में मौत होने के कारण परिजनों ने इंकार किया था। इसी के चलते पहले पुत्र को फंदे पर लटकाकर मार दिया और बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या ली। परिजनों ने दोनों को लटका देखा तो पुलिस को बताया, जिस पर थाने से जाब्ता आया और मृतका के पीहर को बुलाया। पीहर पक्ष के आने पर शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया। इधर पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता में कोई समझौता नहीं हो पाया।

बाईक सवार से लूट के मामले में 1 गिरफ्तार

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले की कोटड़ा थाना पुलिस ने बाईक सवार युवक से लूटपाट करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि राहुल ने मामला दर्ज करवाया कि वह बाइक पर कंबल बेचने का काम करता है। 21 जून को वह पलेसर गांव से सरली गांव की तरफ बाइक से जा रहा था। सरली गांव से पहले नदी के पुलिया पर दो बाईक पर सवार होकर आए 3-4 लोगों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल व उसकी बाईक पर रखी कंबले छीन लेकर फरार हो गए। इस पर मामला दर्ज कर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई इन्द्रसिंह, कांस्टेबल भानुप्रकाश, पवनप्रकाश, हिम्मत सिंह, गजेन्द्र, महेन्द्र की टीम ने जांच करते हए सुनील पुत्र खुमा मीणा निवासी डिंगावरी खुर्द कोटडा उदयपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर यह घटना करना स्वीकार किया। आरोपी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

फार्म हाउस चौकीदार की मौत, मुआवजा मिलने पर दो दिन बाद उठाया शव

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सवीना थाना क्षेत्र में फार्म हाउस के चौकीदार की तबीयत खराब होने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मुआवजा मिलने पर शव उठाया। पुलिस के अनुसार हकरा (60) पुत्र वेला मीणा निवासी ओड़ा फलां ढबोरा सेमारी जो गत बीस वर्षो से हिरामन सोसायटी धोल की पाटी में राहुल सिंघटवाड़िया के फार्म हाउस पर चौकीदारी कर रहा था। उसकी 15 अक्टूबर को बीमारी से अकाल मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने चौकीदार के अंतिम संस्कार के लिए फार्म हाउस के मालिक से मुआवजे की मांग की। दो दिन तक मुआवजा राशि को लेकर बात नहीं बनी। गुरुवार को फार्म हाउस मालिक ने मृतक के भतीजे विनोद मीणा को अंतिम संस्कार के लिए पच्चीस हजार रुपये मुआवजा राशि के लिए रूप दिये। मुआवजा मिलने पर भतीजे की रिपोर्ट पर एएसआई कासम दुल्ला ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

न्यायालय परिसर से लोहे का टेबल व बैंच चोरी

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के भुपालपुरा थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने अज्ञात चोर के खिलाफ न्यायालय परिसर से लोहे का टेबल और बैंच चोरी करने का मामलार दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार जितेश पुत्र धनश्याम कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास कुमावतपुरा सूरजपोल ने मामला दर्ज करवाया कि वह जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर मे वकालत करता है। बार एसोशिएशन कार्यालय उदयपुर के सामने जेल के पास उसकी पत्नी पायल कुमावत एडवोकेट एवं नोटेरी का एक लोहे का टेबल व लोहे की बैंच कई वर्षो से लगी थी। वह 14 अक्टूबर को जब कोर्ट गया टेबल उस स्थान पर नही था। इस टेबल व बैंच को उसने जंजीर व ताले से बांध रखी थी। अज्ञात चोर टेबल व बैंच की जंजीरे तोड कर चुरा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में एक युवती ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि हरिदास जी की मगरी निवासी मोनिका (28) पुत्री नंदकिशोर यादव बुधवार को घर पर अकेली थी। इनके पिता नंद किशोर डेंगू की बीमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थे। मां व भाई भी पिता के साथ थे। इस युवती ने दोपहर में अपने कमरे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता को बुधवार को ही डिस्चार्ज करवाकर घर पर लाए थे। कुछ देर बार भाई घर पहुंचा तो वह कमरे में फांसी पर लटकी मिली। उन्होंने बहन को नीचे उतारा और निजी हॉस्पिटल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने हाल ही में एएलबी की पढ़ाई पूरी की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया।

बंद फैक्ट्री में चोरी करने में दो गिरफ्तार

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने एक बंद फैक्ट्री में चोरी करने में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हर्षित पटेल पुत्र विट्ठल भाई पटेल निवासी कृपा कॉलोनी गायरियावास ने 5 अक्टूबर को मामला दर्ज करवाया कि वह मैसर्स मयुर पैकेजिंग में भागीदार होकर उसकी फैक्ट्री रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया भामाशाह कलडवास में स्थित हैं। अभी उसकी फैक्ट्री बन्द होकर उस पर ताला लगा हुआ हैं तथा फैक्ट्री के अन्दर इलेक्ट्रीक सामान व मशीनें व एसेसरीज लगी हुई हैं। 2 अक्टूबर को उसे सूचना मिली कि उसकी फैक्ट्री के मैन गेट का ताला टुटा हैं। जब वह वहां पर गया तो देखा फैक्ट्री के अन्दर रखा सामान चोरी हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस प्रकरण में जांच करते हुए गोविन्द पुत्र सोहन कालबेलिया निवासी लकडवास बाघदडा कॉलोनी हिरणमगरी और तेजा पुत्र भैरू कालबेलिया निवासी कुंचोली फतहनगर को गिरफ्तार किया है।

तलवार से हमला कर घायल करने का मामला दर्ज

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र मे एक व्यक्ति ने एक युवक पर उस परा तलवार से हमला कर घायल करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार नारायण लाल पुत्र परथा भील निवासी विजयपुरा वल्लभनगर ने मामला दर्ज करवाया कि 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे उसी के गांव के किशन पुत्र लोगर भील का फोन आया और फोन पर उसके साथ गाली-गलोच करने लगा। उसके बाद आरोपी ने शाम को 4.30 बजे के करीब वापस फोन कर उसे गालियां दी। जिस पर उसने गांव के लोगों को बताया। गांव के लोगों ने उसे समझाया पर किशन नहीं माना। रात्रि करीब 8-9 बजे उसके घर के बाहर आकर उसे बुलाया। जिस पर प्रार्थी नारायणलाल व उसका पुत्र पूनाशंकर दोनों घर से बाहर आए और बाहर आते ही किशन ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। हमले से उसके हाथ पर तलवार के वार से उसका हाथ टूट गया व उसके पुत्र की हाथ की उंगलियां कट गई। उसने हल्ला किया तो ग्रामीण एकत्रित हो गए तो किशन वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पैंथर की शिकार हुई महिला के परिजनों ने किया हंगामा, 20 लाख का मुआवजा और पैंथर को गोली मारने की मांग

ग्रामीण विधायक, पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की समझाईश पर माने परिजन

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के समीपवर्ती मदार बड़ा तालाब के पास बुधवार को पैंथर ने खेत में सोयाबीन की फसल काट रही वृद्धा पर हमला कर शिकार करने के मामले में गुरुवार को आक्रोशित परिजनों, समाजजनों और ग्रामीणों ने एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी से शव उठाने से इंकार कर दिया। वे वन विभाग के प्रति आक्रोश जताने के साथ ही मृतक आश्रितों को 20 लाख रुपए के मुआवजे और पहले आदमखोर पैंथर को पकड़ कर गोली मारने की मांग कर रहे थे। काफी समझाईश पर दोपहर बाद मोर्चरी से शव उठाकर ले गए और गांव में अंत्येष्टि की गई।

बुधवार को बड़ा तालाब के पास खेत में बुधवार को वृद्धा मांगीबाई (80)पत्नी बसंतीलाल सेन अपने खेत में सिजारी केसीबाई (60) पत्नी चुन्नीलाल व गणेश पुत्र चुन्नीलाल के साथ सोयाबीन की फसल काट रही थी। तभी पीछे से पैंथर ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर घायल मांगीबाई ने एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान देर शाम को दम तोड़ दिया। गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान मृतका के परिजन, सेन समाज के लोग और मदार गांव से ग्रामीण मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए और वन विभाग के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए उनकी मांगे नहीं माने जाने तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की सूचना पर बड़गांव थाना पुलिस के साथ ही आला अधिकारी एसपी योगेश गोयल, एएसपी सिटी उमेश ओझा, डीएफओ अजय चित्तौड़ा भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाईश के प्रयास करने लगे। इस बीच पहुंचे ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने भी उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। समाजजन व ग्रामीण पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए देने, आदमखोर पैंथर को एक घंटे में पकड़कर गोली मारने की मांग करते रहे। इस दौरान डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने वन विभाग के नियमानुसार पांच लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान होने की जानकारी दी। प्रशासन व विधायक ने और राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष व अन्य मदों से उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने का आश्वासन दिया। पुलिस व प्रशासन की काफी समाईश व पैंथर को मारने का आश्वासन मिलने के बाद परिजन व समाजजन शांत हुए और पोस्टमार्टम के बाद शव लेने मोर्चरी से लेने को तैयार हुए। उधर एमबी चिकित्सालय में भर्ती केसीबाई का उपचार जारी है। वन विभाग द्वारा पैंथर की हलचल की संभावनाओं के मददेनजर मदार क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ ही तलाश की जा रही है। वहीं गोगुंदा के राठौड़ों का गुड़ा, केलवों का खेड़ा क्षेत्र में भी तेंदुए को लेकर सर्च अभियान जारी है।

फोटो : ऋषभ जैन

खेत में फसल खड़ी, पर काटने नहीं जा पा रहे

आदमखोर तेंदुए के रेड जोन क्षेत्र में आने वाले गांवों के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि घर के बाहर निकलने में भी डर लगता है। खेत में फसल खड़ी है। पैंथर इतना ज्यादा खुंखार हो चुका है कि वह अब तो समूह में भी हमला कर रहा है। बुधवार को बड़ा तालाब के पास खेत में जब पैंथर ने मांगीबाई व केसीबाई पर हमला किया उस समय कुछ ही दूर महिला का बेटा गणेश व बहु मोतीबाई भी काम कर रहे थे।

पैंथर ने दो बकरियों का किया शिकार

उदयपुर। जिले के ओगणा थाना क्षेत्र में जंगल में एक पैंथर ने दो बकरियों का शिकार कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार पडावली कला ग्राम पंचायत के मादड़ी के परमारों का खेड़ा फला निवासी भैरूलाल गमेती की बेटी अनिता अपने अन्य साथियों के साथ घर के पास स्थित जंगल में बकरियां और गायें चराने गई थी। सभी गाय भैंस और कुछ बकरियां तो सही-सलामत घर लौट आईं लेकिन दो बकरियां गायब थीं।

जब भैरूलाल और अन्य ग्रामीणों ने आसपास खोजबीन की तो जंगल में पैंथर को बकरियों का शिकार करते हुए दिखाई दिया। ग्रामीणों को देखकर पैंथर मौके से भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव के और लोग भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय सरपंच भंवरलाल गमेती ने पुलिस व वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। जहां ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की।

जमीन कब्जाने के लिए महिला की हत्या में चार गिरफ्तार

घर में सो रही थी मृतका, सिर पर भारी हथियार मारकर की थी हत्या

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले की पानरवा थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने की नीयत से घर में सो रही एक विधवा महिला के सिर पर वजनदार वस्तु से हमला कर हत्या करने में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी अंकिम सामरिया ने बताया कि संदीप पुत्र ईश्वर लाल डाबी निवासी चौकली फला छाली बोकडा पानरवा ने 13 अक्टूबर को मामला दर्ज करवाया कि 12 अक्टूबर की शाम को पडोस में महेश पुत्र नारायण पटेला के घर पर मोबाईल चार्ज लगाने के लिए गया था। 9 बजे उसका भाई रोकी और उसके साथ संजय पुत्र सोमा भजात दोनों महेश के घर पर आए और उसे बताया कि उसकी मां शारदा (40) पत्नी ईश्वर लाल जो घर पर सो रही थी उसके सिर पर किसी ने पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। इस पर संदीप, रोकी, संजय और बहादुर पुत्र काना चारों घर पर पहुँचे तो घर पर उसकी मां शारदा जमीन पर लेटी हुई थी। सिर पर दाहिनी तरफ खून निकला हुआ था। उसने अपनी मां को उठाने का प्रयास किया पर वह नहीं उठी और ना ही कुछ बोली। मृतका के पुत्र रोकी ने बताया की वह अपने खाट पर सो रहा था और मां नीचे सोई हुई थी। मां ने थूकने जैसी आवाज की तो रोकी उठा और देखा तो पास मे से एक व्यक्ति भाग कर नानजी के घर की तरफ जा रहा था। जिस पर घायल शारदा को ईलाज के लिए ईडर लेकर गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हिम्मतनगर भेजा। हिम्मतनगर से अहमदाबाद भेजा। रास्ते मे शारदा की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई निर्मल कुमार, हैड कांस्टेबल निकेश कुमार, कांस्टेबल मुनेश, बनवारीलाल, जवान मल, रोहित, धर्मेन्द्र, प्रेम कुमार, दिलीप कुमार की टीम ने जांच शुरू की।

पुलिस टीम ने संदिग्धो से पूछताछ की और प्रकरण में संदिग्ध महेश पुत्र नानजी निवासी चौकली फला छाली बोकडा पानरवा को पकड़ कर पूछताछ की गई तो सामने आया कि अमित पुत्र बंशीलाल उर्फ बसु निवासी चौकली के कहने पर महेश पुत्र नानजी, अमित पुत्र बंशीलाल उर्फ बसु, बाबूलाल पुत्र शिवदास निवासी चौकली फलां छालीबोकडा पानरवा एवं नाना पुत्र केसरा निवासी आडाहल्दु पानरवा ने शारदा देवी की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बनाकर दबिश दी। आरोपी हत्या के बाद गिरफ्तारी से बचने के एिल दिन में गुजरात की तरफ चले जाते तथा रात के समय वापस चौकली फलां में जंगल में अलग-अलग जगहों पर छिपते फिर रहे थे। जिन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतका शारदा की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आरोपियों ने अमित के कहने पर उसके साथ मिलकर हत्या की थी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

मृतका की जमीन पर कब्जाना चाहते थे

पुलिस के अनुसार चौकली फला छाली बोकडा में ईश्वरलाल पुत्र काला की करीब दस साल पहले मौत हो गई थी। ईश्वरलाल के पडोस में अमित पुत्र बंशीलाल उर्फ बसु का मकान है। अमित की नजर ईश्वरलाल की जमीन एवं महुवे के पेडो पर थी। अमित ने घटना से चार दिन पूर्व छाली बोकडा नदी की तरफ शराब पीने के लिए गया था, जहां पर उसे महेश, बाबू, नानजी मिले। एनीकट पर सभी ने शराब पी। अमित ने इन सब को कहा कि ईश्वरलाल की मौत होने के बाद भी उसकी प ी शारदा उसके बच्चो सहित यहीं पर रह रही है। उसके पास अच्छी जमीन है, जिसमें महुवे के पेड है जिनसे उसको कमाई होती है।

आरोपी ने शारदा को मारकर इसकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। आरेपी अमित ने शेष आरोपियों से कहा कि शारदा देवी की हत्या में उसकी मदद करने पर 50 हजार रूपए देने का आश्वासन दिया। सभी लोग अमित की बात से सहमत हो गए। उस दिन योजना बनाकर सभी अपने अपने घर चले गए। 12 अक्टूबर को महेश भगोरा एवं बाबूलाल दोनो अमित के घर पर गए। जहां पर करीब एक साल से नानजी उसके घर पर ही रह रहा था वह भी मिला। चारो ने शराब पी थी और सभी ने खाना खाया। उसके बाद अमित ने शारदा देवी के हत्या की योजना बनाई। अमित ने महेश व बाबुलाल को शारदा देवी को देखकर आने के लिए बोला। जिस पर दोनो शारदा देवी के घर पर गये और वापस आकर बताया कि शारदा देवी उसके घर पर सोई हुई है। उसको अभी मार सकते है उसके बाद अमित, महेश, बाबु लाल व नानजी चारो शारदा देवी के घर पर गये और शारदा देवी की हत्या कर दी।

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से एक बाईक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मिठालाल (34) पुत्र भूरा गमेती निवासी सालेरा कलां डबोक जो 16 अक्टूबर को शाम सात बजे गांव के फूलचंद के साथ मोटर साइकिल पर हिरणमगरी सेक्टर 4 से अपने गांव सालेरा कलां आ रहे थे कि रास्ते में पिछे से तेज गति से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को घायलावस्था में राहगिरों ने एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां मिठालाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता भूरा गमेती की रिपोर्ट पर हैड कांस्टेबल भगवत सिंह ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, उदयपुर, आगार

निविदा - सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम उदयपुर आगार में कैन्टीन/स्टॉल एवं अन्य हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित राशि रूपये क्र. सं. 1 से 10 तक 236/- (नय जी एस टी) क्र0 सं0 11 व 12 के लिये निर्धारित राशि रुपये 472/-(नय जी एस टी) नकद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव 24.10.2024 को 14.00 बजे तक जमा करा सकते है। निविदा प्रस्ताव उसी दिन 16.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोलें जावेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निगम वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं SPPP पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

UBN No.: RTC2425SLOB00459

राज.संवार/सी/24/6686 विज्ञापन संख्या 152/2024-25 मुख्य प्रबन्धक

टाटा कैपिटल लिमिटेड

रजि. कार्यालय: टॉवर ए, 11वीं मंजिल, पेनिनसुला बिज़नेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013
शाखा कार्यालय: दूसरी मंज़िल, गुमान टॉवर-प्रथम, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) - 302021

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) R/W नियम 9(1) के अंतर्गत)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

ऋण खाता 21014340 (पुनर्गठित) संख्या TCFLA0375000011071153 और TCFLA0375000010951749 बाबू लाल कुमावत

सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में है और राजस्थान में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय ('शाखा') भी है दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड ('टीसीएफएसएल') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ('टीसीसीएल') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में व्यवस्था की योजना ('उक्त योजना') को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ टीसीएल के साथ विलय कर दिया गया है, जो 01.01.2024 से प्रभावी है। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और इस प्रकार टीसीएल को [उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं] से उनके अनुसार दावा करने का अधिकार है। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से नीचे दिए गए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर/टीसीएल) के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्ज़ा टाटा कैपिटल लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर/टीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 12 नवंबर, 2024 को 'जैसा है जहाँ हैं' और 'जैसा है और जो कुछ भी है और बिना किसी सहारे के आधार पर' बेची जाएगी।

जबकि सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री की जानी है और चूंकि ऋण खाता 21014340 (पुनर्गठित) संख्या के तहत **रु. 2,43,96,580/- (रुपये दो करोड़ तैंतालीस लाख छियानवे हजार पांच सौ अस्सी मात्र) की राशि बकाया थी। टीसीएफएलए0375000011071153 के तहत रु. 2,13,27,286/- और टीसीएफएलए0375000010951749 के तहत रु. 30,69,294/- दिनांक 17.10.2024 तक उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों से देय थी, अर्थात, (1) बाबू लाल कुमावत @ बाबू राम कुमावत**, वार्ड नंबर 12, अस्ती कलां, जयपुर, राजस्थान-303602; **इसके अलावा:** 14, भाटा गली, शिव नगर, साउथ सुंदरवास, उदयपुर, राजस्थान-313001; **(2) बिमला देवी कुमावत**, वार्ड नंबर 12, अस्ती कलां, जयपुर, राजस्थान-303602; **इसके अलावा:** 14, भाटा गली, शिव नगर, साउथ सुंदरवास, उदयपुर, राजस्थान-313001

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री में किसी भी प्रकार के स्थगन/विराम के अभाव में उक्त संपत्ति को **12 नवम्बर, 2024** को अपराह्न **02:00** बजे ई-नीलामी द्वारा टीसीएल द्वारा बेचा जाएगा, जिसका शाखा कार्यालय **02वीं मंजिल, गुमान टॉवर 1, आम्रपाली सर्किल के पास, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021** में है।

संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद ई-नीलामी ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के साथ **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **11 नवंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे** तक प्राप्त की जाएगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार रचनात्मक/शारीरिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि ईएमडी (रु.)
संपत्ति खसरा संख्या 246 से 264 और 405 से 407, प्लॉट संख्या 14, शिव कॉलोनी, साउथ सुंदरवास, उदयपुर -313001	भौतिक	रु. 68,01,000/- (रूपये अड़सठ लाख एक हजार मात्र)	रु. 6,80,100/- (रूपये छह लाख अस्सी हजार एक सौ मात्र)

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विवरण अनुसूची में है। चल वस्तुएं/घरेलू सामान यदि कोई हो, जो ऊपर वर्णित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति के अंदर या भीतर पड़ा हो, तो उसे सुरक्षित परिसंपत्ति के साथ तब तक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से इसका वर्णन न किया गया हो। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि पूर्वोक्त देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दी जाए या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण दे दिया जाए कि ऐसे सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है। बिक्री के समय, आम जनता को व्यक्ति गत रूप से अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, उसे हासिल नहीं करेगा या हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी **12 नवंबर, 2024** को दोपहर **02:00 बजे** से **03:00 बजे** के बीच पोर्टल **https://bankauctions.in** के माध्यम से होगी, जिसमें प्रत्येक बोली के लिए 10 मिनट का असीमित समय दिया जाएगा। संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर बताए अनुसार बयाना राशि 'टाटा कैपिटल लिमिटेड' के पक्ष में जयपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। संपत्ति का निरीक्षण **05 नवंबर, 2024** को **सुबह 11:00** बजे से **शाम 05:00** बजे के बीच किया जा सकता है।

नोट: इच्छुक बोलीदाता टाटा कैपिटल लिमिटेड से मोबाइल नंबर +91-8691005238/प्राधिकृत अधिकारी श्री राज यादव; ईमेल आईडी: raj.yadav@tatacapital.com और मोबाइल नंबर +91-9672075151 पर संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाताओं की वेबसाइट पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें अर्थात https://bit.ly/4hba5YA

स्थान : जयपुर (राजस्थान)
दिनांक : 18-10-2024

हस्ताक्षर / - प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल लिमिटेड

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर. नगर संवाददाता | नाई थाना क्षेत्र में पन्द्रह वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जहां उसे जेल भेज दिया। डिप्टी कैलाशचंद्र के अनुसार पीड़िता के पिता ने 10 सितम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पन्द्रह वर्षीय पुत्री घर से धार हॉस्पीटल में दवाई लेने के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी। इस पर नाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। किशोरी को दस्तियाब किया। किशोरी ने बयानों में बताया कि उसे चौधरी कॉलोनी कृष्णापुरी किशनगढ़ अजमेर निवासी रिषीराज पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी रिषिराज शर्मा को गिरफ्तार कर घटनास्थल की तस्दीक कर वारदात में उपयोग में ली बाइक जब्त की।

एक ही युवती से प्रेम-प्रसंग के चलते छात्र और युवक में झगड़ा

बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने साथियों के साथ मिलकर युवक को मारा चाकू

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र ने एक अन्य युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामला एक ही युवती से दोनों का प्रेम-प्रसंग बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार बगड़ देवगढ़ निवासी विद्याधर कृष्ण चौहान जिसका आरके सर्कल पर आईसक्रीम पार्लरह है उसका का सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पारसोल हाल एबी प्रथम वर्ष के छात्र धवल पंचाल से विवाद चल रहा है। विवाद का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। दोनों एक ही युवती से प्रेम करते है, इसको लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। गुरुवार दोपहर को धवन ने विद्याधर को बुलाया, जिस पर विद्याधर कार लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा, जहां धवल ने तीन साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी कार के पीछे का कांच भी तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

एमबी अस्पताल के सभी वार्डों में लगे इंसेक